न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 26/2023 जिला दौसा

1. काल्या उर्फ कालूराम पुत्र चन्दरा
2. ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल पुत्र चन्दरा
3. घनश्याम पुत्र बदरी
4. मुरारीलाल पुत्र बदरी
5. मोतिया पुत्री बदरी
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. नरेश पुत्र स्व0 सीताराम
2. शिवदयाल पुत्र स्व0 सीताराम
3. रामधन पुत्र स्व0 सीताराम
4. कान्ता पत्नि स्व0 सीताराम
5. कान्जी पुत्र स्व0 सीताराम
   समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 15.06.2022 उनवानी नरेश वगै0 बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 11/2022 जो प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 में किया गया है।

उपस्थित—

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट
2. श्री पं0 रामबाबू भार्मा, वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 6 की ओर से

अपील संख्या 27/2023 जिला दौसा

1. काल्या उर्फ कालूराम पुत्र चन्दरा
2. ग्यारसा उर्फ ग्यारसीलाल पुत्र चन्दरा
3. घनश्याम पुत्र बदरी
4. मुरारीलाल पुत्र बदरी
5. मोतिया पुत्री बदरी
   समस्त जाति माली निवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. रामपाल पुत्र नेहन्या जाति रैगर निवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 15.06.2022 उनवानी रामपाल वगै0 बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण संख्या 12/2022 जो प्रार्थना पत्र अ0 धारा 128 में किया गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित–

1. श्री अशोक कुमार जोशी, वकील अपीलान्ट
2. श्री पं0 रामबाबू शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 2 की ओर स

निर्णय

दिनांक –11.07.2023

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के निर्णय दिनांक 15.06.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 06.06.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. दोनों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों मे रखी जावे। दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि क्रमशः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत लगायत 5 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा में इस आशय का पेश किया कि ख.नं0 643/264 रकबा 20 बीघा एवं ख0 नं0 642/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0नं0 641/264 रकबा 10 बिस्वा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थी उक्त जमीन के खातेदार हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के तन्हा खातेदार व काबिज काश्तकार है जिस पर प्रार्थीगण शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के पडौसी लोग लाठी एवं पैसे वाले हैं, जो जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन करने का असफल प्रयास करते हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का सीमा निर्धारण करने हेतु भी आवेदन किया गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थना पत्र पत्थरगढी प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का चिन्हीकरण कर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है। दिनांक 14.06.2022 को तहसीलदार द्वारा भूमि की रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये गये कि दो कुशल गिरदावर/पटवारियों की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि ख.नं0 643/264 रकबा 20 बीघा एवं ख0 नं0 642/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0नं0 641/264 रकबा 10 बिस्वा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा का तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 15.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्री काल्या उर्फ कालूराम पुत्र चन्दरा वगै0 द्वारा यह अपील 96 सी.पी.सी. मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसाा दिनांक 15.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.06.2022 की जानकारी अपीलांटस को पूर्व में कदापित नहीं थी। दिनांक 26.05.2023 को हल्का पटवारी ने अपीलांटस सं0 3 को बताया कि तुम्हारी बगल वाली जमीन के पत्थरगढी के निर्णय हमारे पास आ गये अब पत्थरगढी करेंगें। अपीलांटस ने उसी दिन दिनांक 26.05.2023 को एस.डी.ओ. कोर्ट में जाकर उक्त निर्णय बाबत जानकारी की तथा उसी दिन नकल हेतु आवेदन पेश किया जिसकी नकल दिनांक 29.05.2023 को प्राप्त हुई। जिस कारण जानकारी से एवं नकल प्राप्ति से अपील अन्दर मिया पेश की जा रही है । अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील पेश करने में हुई देरी को क्षमा फरमाते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाकर रिकॉर्ड पर लिये जाने के निर्णय पारित करने की कृपा करें। विवादित भूमि खसरा नम्बर 643/264 वाके ग्राम खटवा तहसील लालसोट में स्थित मिन अपीलान्टस की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 634/264 एवं अन्य खसरा नम्बरान के लगते हुए सीमा पर है तथा अपीलान्ट पडौसी खातेदार है किन्तु रेस्पो0 द्वारा मिन अपीलांटस को पक्षकार बनाये बिना 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 15.06.2022 को निर्णय पारित करवा लिया। अपीलांटस अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं तथा ग्रसित एवं पीडित पक्षकार होने के कारण अपील पेश करने के अधिकारी है इस हेतु न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति लिये जाने हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थीगण का अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत लगायत 5 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मिन अपीलांटस पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना केवल मात्र राजस्थान सरकार को अप्रार्थी बनाकर स्वंय की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 643/264 रकबा 20 बीघा एवं ख0 नं0 642/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0नं0 641/264 रकबा 10 बिस्वा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा के संबंध में एक प्रार्थना पत्र अ0धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पेश कर बिना कोई सीमाज्ञान रिपोर्ट के प्रस्तुत किया। जिस पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के व पडौसी खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना ही दिनांक 15.06.2022 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि खसरा ख.नं0 643/264 रकबा 20 बीघा एवं ख0 नं0 642/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0नं0 641/264 रकबा 10 बिस्वा ग्राम खटवा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिए पुलिस इमदाद पत्थरगढी करने के निर्णय पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही अंकित किया कि कौन कौन पडौसी खातेदार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में दीगर लोगों की खातेदारी होने का अंकन तो लिखा है किन्तु उनको पक्षकार नहीं बनाया गया तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ही उक्त बिन्दु पर बिना कोई गौर किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि कानूनन प्रार्थना पत्र 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत करने के लिए भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में सीमा निर्धारण करने का आवेदन पेश करने का उल्लेख किया है किन्तु उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई भी मौका रिपोर्ट या सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश नहीं की जबकि कानूनन पत्थरगढी के आवेदन से पूर्व पहले सीमाज्ञान करवाया जाना आवशयक होता है, किन्तु रेस्पो0 द्वारा कोई सीमाज्ञान नहीं करवाया। खसरा नम्बर 264 पूर्व में इकजाई नम्बर था तथा उसकी राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में तरमीम नहीं की गई थी बाद में जब तरमीम की गई तो गलत तरीके से तरमीम कर अपीलांट्स के कब्जे की भूमि पर रेस्पोडेन्ट को कुछ भाग पर तरमीम में अंकित कर दिया किन्तु योग्य अधिनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा अपीलांटस को बिना पक्षकार बनाये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि अपीलांट्स खसरा नम्बर 634/264 के खातेदार है जो खसरा नम्बर 641/264 एवं 643/264 भूमि के लगते हुये है। रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त भूमि के पडौसी लोग जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के अधिकारों का हनन करने का असफल प्रयास करते हैं। कानूनन प्रार्थना 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत करने के लिए भूमि के पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिस कारण योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पडौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनवाये बिना मौके के विपरीत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा दिनांक 15.06.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत लगायत 5 एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा में इस आशय का पेश किया कि ख.नं0 643/264 रकबा 20 बीघा एवं ख0 नं0 642/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0नं0 641/264 रकबा 10 बिस्वा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। प्रार्थी उक्त जमीन के खातेदार हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि के तन्हा खातेदार व काबिज का तकार है जिस पर प्रार्थीगण शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि के पडौसी लोग लाठी एवं पैसे वाले हैं, जो जबरन प्रार्थीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन करने का असफल प्रयास करते हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि का सीमा निर्धारण करने हेतु भी आवेदन किया गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थना पत्र पत्थरगढी प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का चिन्हीकरण कर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित है। दिनांक 14.06.2022 को तहसीलदार द्वारा भूमि की रिपोर्ट भी आ चुकी है। प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये गये कि दो कुशल गिरदावर/पटवारियों की टीम गठित कर उपरोक्त वर्णित आराजीयात भूमि ख.नं0 643/264 रकबा 20 बीघा एवं ख0 नं0 642/264 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा तथा ख0नं0 641/264 रकबा 10 बिस्वा ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा का तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2022 की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी कायम करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2022 पारित किये गये। सीमाज्ञान में क्या समस्या है ? मेरी जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। केवल खसरा की सीमा तय हो रही है, अधिकार तय नहीं हो रही है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों के मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जावे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ही खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने हेतु आदेश दिया गया है जिसमें अन्य किसी सहखातेदरान् को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 29.05.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 में पडौसी खातेदार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा एकतरफा में रेस्पोडेन्ट के कथन को सही मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारीत किया गया है। रेस्पोडेन्ट की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की आराजी खसरा नं. 634/264 स्थित है। पत्थरगढी से पूर्व सीमाज्ञान नहीं किया गया है। वकील रेस्पोडेन्ट ने भी बहस के दौरान कथन किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों के मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढी की जावे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अपीलांट्स उक्त विवादित भूमि में समीपस्थ पक्षकारान् हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर दोनों पक्षों को सुनकर उनकी उपस्थिति में सीमाज्ञान कर, सीमाज्ञान मुताबिक पत्थरगढी करने का आदेश दिया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट रामगढ पचवारा जिला दौसा का निर्णय दिनांक 15.06.2022 निरस्त किया जाता है। तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/23.

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर